प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या–370/प्र0फी0नि0स0/2018
लखनऊः दिनांक 08 अगस्त, 2018

– आदेश –

एन0के0बी0आर0 कालेज ऑफ फार्मेसी एण्ड रिसर्च सेण्टर, गाजियाबाद। (कोड–201)

संस्थान द्वारा अपने आवेदन–पत्र के साथ अपूर्ण संलग्नक/सूचना अपलोड की गयी तथा समिति के पत्रांक संख्या–125/प्र0फी0नि0स0/शु0नि0/2018 दिनांक 21.07.2018 द्वारा सभी संलग्नकों/प्रपत्रों सहित दिनांक 26.07.2018 सुनवाई का मौका दिया गया, तत्पश्चात् भी संस्थान का कोई भी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुए। अतएव संस्थान पर समिति के निर्णयानुसार प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क अनुमन्य।

अधिनियम–2006 की धारा–14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–4781/सोलह–1–2015–14(34)/2015 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली–2015 निर्गत की गयी है, जिसमें दिये गये प्राविधानुसार निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में चल रहे पाठ्यकमों के शुल्क का निर्धारण किया जाना है।

2. उक्त विनियमावली–2015 के अनुपालन में समिति के आदेश संख्या–64/प्र0फी0नि0स0/2018 दिनांक 19 जून, 2018 द्वारा निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया गया है:–

कमांक	पाठ्यकम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21
01	बी0टेक,	55000.00
02	बी0फार्मा	63300.00
03	बीआर्की0	57730.00
04	बी0एफ0ए0	85250.00
05	बी0एफ0ए0डी0	85250.00
06	बी0एच0एम0सी0टी0,	70000.00
07	एम0बी0ए0	59700.00
08	एम0सी0ए0	55000.00
09	एम0फार्मा0	68750.00
10	एम0आर्की0	57500.00
11	एम0टेक0	57500.00

3. संस्थान द्वारा विनियमावली–2015 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार संस्थान द्वारा मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारण कराने हेतु आन–लाईन आवेदन किया गया, जो कि अपूर्ण था। इसके उपरान्त संस्थान को समिति कार्यालय के पत्र संख्या–125/प्रफीनिस/शु0नि0/2018 दिनांक

21.07.2018 द्वारा एक सप्ताह का समय देते हुए संस्थान को दिनांक 26.07.2018 को सुनवाई के समय अभिलेख प्रस्तुत करने का पुनः एक अवसर प्रदान किया गया परन्तु प्रश्नगत संस्थान द्वारा न तो सुनवाई में प्रतिभाग किया गया और न ही अभिलेख उपलब्ध कराये गये। तत्पश्चात् समिति द्वारा विचार–विमर्श किया कि संस्थान द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराने एवं शुल्क निर्धारण में कोई रूचि न लेने के दृष्टिगत संस्थान पर समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क शैक्षिक सत्र 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 हेतु अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. उपरोक्त निर्धारित मानक शुल्क शैक्षिक सत्र 2018–19 से आगामी दो वर्षो (कुल तीन वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। यह शिक्षण शुल्क सत्र 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में प्रवेशित छात्रों से लिया जाना होगा। पूर्व से प्रवेशित छात्र–छात्रओं से इनके प्रवेश के वर्ष में निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जाना प्रभावी रहेगा।

5. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब–साइट www.afrcup2018.in पर प्रदर्शित है तथा संस्था द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब–साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

6. उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा–4 के अन्तर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरुद्व अपील के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील प्राधिकरण का गठन आदेश संख्या–3393/सोलह–1–2009–5 (डब्लू–48)/2003 दिनांक 14.10.2009 द्वारा किया जा चुका हैं।

Khan
(एफ0आर0 खान)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक/प्राचार्य, एन0के0बी0आर0 कालेज ऑफ फार्मेसी एण्ड रिसर्च सेण्टर, गाजियाबाद।
2. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

Khan
(एफ0आर0 खान)
सचिव